

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2013—ज्येष्ठ 30, शक 1935

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. 32-18-2013-म-इकतीस-619.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 20 जून, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंध संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रवृत्त होंगे.

No. 32-18-2013-M-XXXI-619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhinyam, 2013 (No. 23 of 2013), the State Government, hereby, appoints 20th day of June, 2013 as the date on which the provisions of Section 8 of the said Act, shall come into force in whole of the Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.